सत्यमेव जयते

संख्या– /जी0एस0/शिक्षा/A15-9/2018

प्रेषक,

रमेश कुमार सुधांशु,
कुलाधिपति के सचिव।

सेवा में,

कुलसचिव,
हेमवती नन्दन बहुगुणा चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय,
देहरादून।

राज्यपाल/कुलाधिपति सचिवालय उत्तराखण्ड : **देहरादून : दिनांक : 27 फरवरी, 2019**

महोदय,

कृपया हेमवती नन्दन बहुगुणा उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय के पत्रांक–955/एचएनबीयूएमयू/सम्बद्धता/17–18 दिनांक 07 मार्च, 2018 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा **उत्तरांचल कॉलेज ऑफ बायोमेडिकल साइंसेज एण्ड हॉस्पिटल, सेवला खुर्द, सहारनपुर रोड़, देहरादून** को बी0एस0सी0 नर्सिंग पाठ्यक्रम में 30 सीट के लिये शैक्षिक सत्र 2017–18 की नवीन अस्थाई सम्बद्धता का प्रस्ताव कुलपति जी की संस्तुति के साथ इस सचिवालय को उपलब्ध कराया गया था।

2. मा0 कुलाधिपति जी द्वारा प्रश्नगत सम्बद्धता प्रस्ताव के सम्बन्ध में निरीक्षण मण्डल व कुलपति जी की संस्तुति एवं छात्रहित के दृष्टिगत हेमवती नन्दन बहुगुणा उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय अधिनियम, 2014 की धारा–36(1) के अन्तर्गत उक्त संस्थान को **बी0एस0सी0 नर्सिंग पाठ्यक्रम में 30 सीट हेतु सत्र 2017–18 हेतु नवीन अस्थाई सम्बद्धता** प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक सहमति/अनुमोदन इस उपबन्ध के साथ दी गई है कि सम्बद्धता सम्बन्धी अन्तिम निर्णय विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद द्वारा अधिनियम व यू0जी0सी0 विनियमों के अनुसार लेते हुए तद्नुसार सम्बद्धता सम्बन्धी आदेश विश्वविद्यालय स्तर से निर्गत करने की कार्यवाही की जाये।

3. कुलाधिपति/शासन/विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर स्वयं या अपने प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से संस्था का निरीक्षण किया जा सकता है और पाठ्यक्रम हेतु सम्बन्धित नियामक संस्था एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित किये गये मानकों/आदेशों का अनुपालन न करने पर संस्था के विरूद्ध यथोचित कार्यवाही की जायेगी।

4. तद्नुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

भवदीय,

(रमेश कुमार सुधांशु)
कुलाधिपति के सचिव।

संख्या–450/(1)/जी0एस0/शिक्षा/A15-9/2018 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, चिकित्सा शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन।
2. सचिव, भारतीय उपचर्या परिषद्, आठवॉ तल, एनबीसीसी सेन्टर, प्लॉट नं. 2, कम्यूनिटी सेन्टर, ओखला फेज–01, नई दिल्ली – 110020।
3. निदेशक, चिकित्सा शिक्षा, उत्तराखण्ड।
4. कुलपति, हे0न0ब0 उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय, देहरादून।
5. प्राचार्य/प्रबन्धक, उपरोक्त सम्बन्धित संस्थान/कॉलेज।
6. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ/गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से,

(विक्रम सिंह यादव)
कुलाधिपति के संयुक्त सचिव।